सत्यमेव जयते

**न्यायालय**

# सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

## गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2018/00006 दर्ज तिथिः—05.01.2018

1. हरिराम पुत्र स्व0 खीयाराम
2. सोहनलाल पुत्र स्व0 खीयाराम
3. वरजु पत्नी स्व0 खीयाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

*बनाम*

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी
2. गोरखाराम पुत्र धनाराम
3. किसनाराम पुत्र धनाराम
4. जगमालराम पुत्र धनाराम फौत के कायम मुकाम
   4/1 घेवरचंद पुत्र जगमालराम
   4/2 धोलाराम पुत्र जगमालराम
   जाति विश्नोई निवासीगण कबुली तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

.....अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री बाबुलाल विश्नोई
अप्रार्थीगणः— श्री डालुराम चौधरी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

**—:निर्णयः—**

निर्णय तिथिः—04.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested

- कि प्रार्थीगण काशु पुत्र मोती का पुत्र खीवड़ाराम के वारिस है। खीवडाराम, काशु की इकलौती संतान थी।
- कि ग्राम मौखावा के खसरा संख्या 282 रकबा 19—17 बीघा, खसरा संख्या 348 रकबा 171 बीघा, खसरा संख्या 347 रकबा 0—04 बिघा गै0मु0 ढाणी का काशु जागीरकाल से खातेदार काश्तकार था। काशु की मृत्यु के बाद काशु के पुत्र खीवडाराम को उक्त खसरों की खातेदारी प्राप्त हुई। सन 2001 में खीवडाराम के देहांत के पश्चात प्रार्थीगण को उत्तराधिकारी खातेदारी प्राप्त हुई।
- कि वक्त सेटलमेंट बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा उक्त खसरो का बंदोबस्त काशु के पुत्र खीवडा के नाम जारी किया जाना था लेकिन बंदोबस्त अधिकारियों की गलती से खीवडाराम व विरधाराम पिसरान काशूराम के नाम से जारी किया गया। विरधाराम काशूराम का पुत्र था ही नहीं। बंदोबस्त अधिकारियों की प्रथम गलती आदिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। जिसमें विरधाराम पुत्र काशुराम का नाम विलोपित किये जाने का निवेदन किया है।
- कि खसरा संख्या 282 रकबा 19—17 बीघा तथा खसरा संख्या 348 रकबा 40—03 बीघा भूमि धनाराम पुत्र अमोलकराम, गोरखाराम, किशनाराम पुत्र धनाराम जाति विश्नोई निवासी कबूली ने विरधाराम पुत्र हरजीराम को काशु का गलत पुत्र बताकर दिनांक 15.01.1973 को अपने पक्ष में बेचाननाम संपादित करवाया। उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 528 दर्ज करवाया गया।
- कि विरधाराम पुत्र हरजीराम, काशू का पुत्र नहीं होने एवं खातेदार नहीं होने से उक्त भूमि का बेचान नहीं कर सकता। इसलिए उक्त बेचान को निरस्त कर नामान्तरकरण को शून्य एवं प्रभावहीन करते हुए राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त किया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रकरण में बहस प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वक्त बंदोबस्त के दौरान खतौनी बंदोबस्त जारी करते समय बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा सहवन खीवड़ा पुत्र काशू के साथ विरधा का नाम गलती से लिख दिया गया। जबकि विरधा पुत्र काशू नाम का कोई पुत्र काशू के नहीं था। असल में खीवड़ा ही काशू की एकल व असल संतान थी। इस प्रकार हाल राजस्व रिकॉर्ड से विरधा पुत्र काशू व पश्चातवर्ती गलत इन्द्राज को कलमजन किया जाना है। इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.06.2017 एवं 20.11.2007 के द्वारा न्यायालय को ऐसे प्रकरणों में शक्तियां प्रदान की गई है। इसके साथ ही फूसाराम बनाम राजस्व मण्डल में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में ऐसे प्रकरणों में दुरूस्ती किये जाने का न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131 एवं 136 के तहत वक्त बंदोबस्त विरधा पुत्र कासू के राजस्व इन्द्राज एवं पश्चातवर्ती अंतरण के द्वारा कायम किये गये राजस्व इन्द्राज को कलमजन किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131 एवं 136 का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार उक्त प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है—

> ***131. Maintenance of Map and Field Book*** *– After the survey and record operations are over, the map and the field book shall be maintained by the Land Records Officer, in accordance with the rules made by the State Government in that behalf and he shall cause, annually or at such longer intervals as the State Government may prescribe, to be recorded therein all changes in the boundaries of each village or portion of a village, estate or field and shall correct any errors which are shown to have been made in such map or field book.*
>
> ***136. Correction of errors*** *– The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि धारा—131 के तहत बंदोबस्त प्रक्रिया के समाप्त होने पर मौके पर हुए पश्चातवर्ती परिवर्तनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त प्रावधान के विपरीत प्रार्थी का प्रकरण है कि मूल बंदोबस्त के दौरान की गई गलतियों की दुरूस्ती की जावे। इस प्रकार प्रार्थी का अनुतोष जहां मूल बंदोबस्त के इन्द्राज की ही दुरूस्ती को लेकर है जबकि धारा—131 बंदोबस्त प्रक्रिया के समाप्त होने पर मौके पर हुए पश्चातवर्ती परिवर्तनों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के प्रावधान कायम करती है। इस प्रकार प्रार्थी का अनुतोष धारा—131 के तहत नहीं आता है।

6. अब प्रकरण में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि धारा—136 के तहत राजस्व रिकॉर्ड में लिपिकीय त्रुटियों अथवा सभी पक्षकारों के द्वारा स्वीकृत की गई त्रुटियों की दुरूस्ती किये जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त प्रावधान के विपरीत प्रार्थी का प्रकरण है कि मूल बंदोबस्त के दौरान की गई गलतियों की दुरूस्ती की जावे। इस प्रकार प्रार्थी का अनुतोष जहां मूल बंदोबस्त के इन्द्राज की ही दुरूस्ती को लेकर है जबकि धारा—136 बंदोबस्त प्रक्रिया के समाप्त होने पर पश्चातवर्ती जमाबंदियों में राजस्व इन्द्राज परिवर्तनों में हुई लिपिकीय त्रुटियों की दुरूस्ती किये जाने के प्रावधान कायम करती है। इस प्रकार प्रार्थी का अनुतोष धारा—136 के तहत नहीं आता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested

ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर सटीक चस्पा नहीं होता है।

7. असल में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के तहत धारा—88 के तहत दावा के तहत आता है। प्रार्थी के द्वारा निवेदित अनुतोष का निस्तारण एक पूर्ण दावा में साक्ष्य व सबूत लेकर ही यह निर्धारण किया जा सकता है कि काशू के कौन वारिस रहे है एवं बंदोबस्त के समय बंदोबस्त कार्मिकों द्वारा कोई गलती हुई है। इन सब विषयों का निर्धारण साक्ष्य सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है। प्रकरण में मुतनाजा आराजी का अंतरण हो चुका है। इस प्रकार अंतरण के आधार पर वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदारों के राजस्व इन्द्राज को बिना दावा में साक्ष्य सबूत लिये बिना ही संक्षिप्त विचारण के निस्तारित किया जाना अधिनियम की भावना व मूल प्रक्रिया के विपरीत होगा। अतः

आदेश है कि

*राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारित किया जाता है।*

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:35 IST
Reason: SelfAttested